जिला कलक्टर श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 67/2017 अनवानी अरविन्द कुमार पुत्र नरसीराम जाति बिश्नोई वार्ड संख्या 10 (ढाणी) चक 28 ए.एस.बी., पुरानी धानमण्डी घड़साना बनाम आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी घड़साना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

A3

16.10.2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री अरविन्द कुमार उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री अरविन्द कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 05.06.2017 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं आवंटन अधिकारी, घड़साना से निम्न सूचना चाही थी:—

1. तहसील घड़साना के चक 4 के.एम. जीवनदेसर के मु0न0 226/06 की आवंटन स्थिति की सूचना की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें जैसे कि रकबा आवंटित है अथवा नही?
2. उक्त मु0न0 226/06 किसी अन्य को आवंटित किया जा सकता है अथवा नही, की भी प्रमाणित सूचना।

अपीलार्थी ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 05.06.17 के द्वारा 2 बिन्दुओ की चाही थी 30 दिवस का समय व्यतीत हो जाने पर भी उनके द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे निशुल्क उपलब्ध करवाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे एवं सिविल नियमो के अन्तर्गत उनके विरूद्ध कार्यवाही की जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर उपखण्ड अधिकारी व आवंटन अधिकारी घड़साना से पत्र संख्या 1706 दिनांक 19.09.17 के द्वारा टिप्पणी मय संबंधित अभिलेख चाहा गया था जो उपखण्ड अधिकारी, घड़साना द्वारा उपलब्ध नही करवाया गया है तत्पश्चात स्मरण पत्र सं0 1782 दि0 04.10.17 लिखने उपरान्त भी अपना प्रतिवेदन मय संबंधित रिकार्ड के प्रस्तुत नही किया गया है और न ही अपीलार्थी को उसके आवेदन पत्र दिनांक 05.06.17 में वांछित सूचनांए उपलब्ध करवाई गई है और न ही उसके प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय लिया गया है। जबकि सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार आवेदक द्वारा चाही गई सूचनांओ के संबंध में आवेदन पत्र का 30 दिन के भीतर निर्णय करना आवश्यक है। इसलिए अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी एवं आवंटन अधिकारी, घड़साना को निदेशित किया जाता है कि कि आदेश प्राप्ति से 7 दिवस के भीतर सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 05.06.17 का निस्तारण करें और यदि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना दिये जाने योग्य हो तो उसे निशुल्क सूचना उपलब्ध करवाई जावे अन्यथा अपीलार्थी को अवगत करवाया जावे। यदि अपीलार्थी के आवेदन पत्र का संबंध उनके कार्यालय से नही है तो आवेदन पत्र प्राप्ति से 5 दिवस के भीतर संबंधित विभाग को अन्तरित किया जाना चाहिए। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी एवं आवंटन अधिकारी, घड़साना को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

19.10.17
25.10.17

यह आदेश आज दिनांक 16.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)